न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्री बजरंग सिंह पुत्र श्री रघुनाथसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-बागरा, तह. व जिला-जालोर

बनाम

प्रत्यर्थी

1. प्राधिकृत अधिकारी, भूमि आवंटन व नियमितिकरण, नगर परिषद्, सिरोही
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 28/2020

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री प्रकाश प्रजापत, अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री हरिओम दत्ता, प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से
3. पेरोकार सरकार (तहसीलदार, सिरोही)

-: निर्णय :- **दिनांक 14 अक्टूम्बर, 2020**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम सिरोही, पटवार हल्का सिरोही प्रथम के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 404 दिनांक 29.6.2018 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किया गया। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिओम दत्ता उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या-2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। प्रकरण में तहसीलदार, सिरोही के पत्र क्रमांक/न्याय/2020/906 दिनांक 12.10.2020 से हल्का पटवारी, सिरोही की रिपोर्ट/जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों में की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम सिरोही, पटवार हल्का सिरोही प्रथम के खसरा संख्या 1181 रकबा 1.3900 हेक्टेयर भूमि आई हुई है, जिसके नया खाता संख्या 9 व पुराना खाता संख्या 4 है। यह कि उक्त खसरा की भूमि में अपीलार्थी बजरंग सिंह का 443/995 रकबा 0.886 हेक्टेयर खातेदारी हक हिस्सा स्थित है जिसमें से 0.0310 हेक्टेयर भूमि को अपीलार्थी ने जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 1128 दिनांक 13.7.2017 के द्वारा बेचान कर दी तथा विक्रय शुदा रकबा 0.0310 हेक्टेयर की कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान कराने के लिये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 क के तहत प्रत्यर्थी संख्या-1 (प्राधिकृत अधिकारी, भूमि आवंटन व नियमितिकरण, नगर परिषद्, सिरोही) के समक्ष आवेदन किया, तब प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा प्रक्रियाधीन भूमि अभिधारी प्रत्यर्थी संख्या-2 तहसीलदार, सिरोही को प्रेषित पत्र संख्या 4999 दिनांक 17.10.2017 के

....पेज दो पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:39:03 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:39:03 IST
Reason: SelfAttested

क्रम में प्रत्यर्थी संख्या-2 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या-1 को प्रेषित पत्र संख्या 935 दिनांक 19.2.2018 में क्रम संख्या 4 में क्लोज (ख) में लिपिकिय त्रृटिवश सहवन से रकबा 1.3900 हेक्टेयर में से 0.0310 की जगह 0.310 हेक्टेयर अंकित हाने जाने से प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा उसी अनुरुप भूमि का अधिग्रहण आदेश संख्या 466 दिनांक 07.5.2018 को जारी किया गया है, जबकि वास्तविक अधिग्रहित भूमि का रकबा 0.0310 हेक्टेयर ही है। यह कि अपीलार्थी के नाम से दर्ज कुल खातेदारी भूमि रकबा 0.886 हेक्टेयर में से विक्रय की गई भूमि रकबा 0.0310 हेक्टेयर के स्थान पर गलत रुप से रकबा 0.310 हेक्टयर भूमि अधिग्रहित करने का नामान्तरकरण संख्या 404 दर्ज किया, जिसे तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 29.6.2018 को स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तरकरण में रकबा 0.0310 हेक्टेयर की जगह सहवन व त्रृटिवश रकबा 0.310 हेक्टेयर गलत इन्द्राज कर लिये जाने से प्राधिकृत अधिकारी, भूमि आवंटन व नियमितिकरण, नगर परिषद्, सिरोही (प्रत्यर्थी संख्या-1) ने पत्र क्रमांक/पनसि/भू.रुपा./ 2020-21/10430 दिनांक 27.8.2020 से तहसीलदार, सिरोही को राजस्व रेकर्ड में रकबा 0.310 हेक्टेयर की जगह रकबा 0.0310 हेक्टेयर संशोधन करने हेतु लिखा गया है, परन्तु प्रश्नगत नामानतरकरण संख्या 404 को तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 29.6.2018 को स्वीकृत कर लिये जाने से उक्त नामान्तरकरण को कानूनन निरस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। यह कि अपीलार्थी द्वारा रकबा 0.0310 हेक्टेयर भूमि ही विक्रय की है एवं विक्रयशुदा रकबा 0.0310 हेक्टेयर भूमि का ही गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान कराने के लिये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90क के तहत प्राधिकृत अधिकारी, भूमि आवंटन एवं नियमितिकरण, नगर परिषद्, सिरोही के समक्ष आवेदन किया है जो सही व वास्तविक है तथा उक्त नामान्तरकरण के जरिये उक्त भूमि रकबा 0.0310 हेक्टेयर भूमि की जगह लिपिकिय त्रृटिवश गलत रकबा 0.310 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण का नामान्तरकरण संख्या 404 दिनांक 29.6.2018 गलत दर्ज कर स्वीकार किया गया है एवं उक्त नामान्तरकरण में रकबा 0.0310 हेक्टेयर भूमि के स्थान पर रकबा 0.310 हेक्टेयर भूमि अंकित करने से अपीलार्थी के कुल हक हिस्से की खातेदारी भूमि में कमी हुई है जिससे अपीलार्थी को बहुविवाद में उलझना पड रहा है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी अंकित किया कि अपीलार्थी को प्रश्नगत नामान्तरकरण में हुई उक्त त्रृटि की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02.9.2020 को जमाबन्दी की नकल लेने पर हुई, तब अपीलार्थी ने प्राधिकृत अधिकारी, भूमि आवंटन व विनियमितिकरण, नगर परिषद्, सिरोही व तहसीलदार, सिरोही को उक्त दर्ज हुए गलत नामान्तरकरण की दुरस्ती करने हेतु अनुरोध किया, तब अपीलार्थीगण को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु कहा गया। जिस पर अपीलार्थी ने जानकारी तिथि से अन्दर मियाद 30 दिन में यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अत: अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण को निरस्त किया जावे एवं तहसीलदार, सिरोही को रकबा 0.310 हेक्टेयर के स्थान पर रकबा 0.0310 हेक्टेयर भूमि के इन्द्राज हेतु आंशिक संशोधन सहित पुन: विधि अनुसार नामान्तरकरण दायर कर स्वीकृत करने हेतु आदेशित किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या-1 (प्राधिकृत अधिकारी, भूमि आवंटन एवं नियमितिकरण, नगर परिषद्,

....पेज तीन पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:39:03 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:39:03 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही) के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि वास्तविक अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0310 हेक्टेयर ही है एवं यदि राजस्व रेकर्ड में रकबा 0.310 हेक्टेयर भूमि के स्थान पर रकबा 0.0310 हेक्टेयर भूमि दर्ज किया जाता है तो नगर परिषद्, सिरोही को कोई आपत्ति नही है। बहस के दौरान तहसीलदार, सिरोही ने उनके पत्र क्रमांक/न्याय/2020/906 दिनांक 12.10.2020 के द्वारा प्रेषित हल्का पटवारी, सिरोही की रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि तहसीलदार, सिरोही के आदेश क्रमांक/राजस्व/18/1926 दिनांक 11.5.2018, 1927 दिनांक 11.5.2018 व 1923 दिनांक 11.5.2018 तथा प्राधिकृत अधिकारी, भूमि आवंटन एवं नियमितिकरण, नगर परिषद्, सिरोही के आदेश दिनांक 07.5.2018 की पालना में प्रशिक्षु पटवारी, सिरोही प्रथम द्वारा श्री बजरंग सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह राजपूत, निवासी- बागरा की ग्राम सिरोही, पटवार हल्का सिरोही प्रथम के खसरा संख्या 1181 में स्थित हक हिस्से की खातेदारी भूमि में से रकबा 2.00.10 बीघा भूमि आवासीय अधिग्रहण का नगर परिषद्, सिरोही के पक्ष में नामानतरकरण संख्या 404 दायर किया गया, जिसे तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 29.6.2018 को स्वीकृत किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार, सिरोही द्वारा उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 404 दिनांक 29.6.2018 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 07.9.2020 को अपील प्रस्तुत की गई है, जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02.9.2020 को होना अंकित किया है। अपीलार्थी द्वारा धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण होना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में, धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाकर इस अपील प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्राधिकृत अधिकारी, भूमि आवंटन व नियमितिकरण, नगर परिषद्, सिरोही के पत्र क्रमांक:नपसि/भू. रुपा./2020-21/10430 दिनांक 27.8.2020 के द्वारा तहसीलदार, सिरोही को इस आशय का पत्र जारी किया गया है कि मूल खातेदार बजरंग सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह, आवेदक शेर सिंह पुत्र कल्याण सिंह का मामला संख्या 399 के खसरा संख्या 1181 कुल 1.3900 हेटैयर में से 0.0310 हेक्टेयर के गैर कृषिक उपयोग हेतु नगर परिषद्, सिरोही के पत्र संख्या 499 दिनांक 17.10.2017 के क्रम में तहसील कार्यालय, सिरोही द्वारा प्रेषित पत्र (पत्र क्रमांक/राजस्व/2018/935 दिनांक 19.2.2018) में त्रृटि से 0.0310 हेक्टेयर के जगह 0.310 हेक्टेयर अंकित हो जाने से परिषद् द्वारा उसी अनुरुप भूमि

....पेज चार पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:39:03 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:39:03 IST
Reason: SelfAttested

का अधिग्रहण आदेश क्रमांक 466 दिनांक 07.5.2018 से जारी किया गया है, जबकि वास्तविक भूमि 0.0310 हेक्टेयर ही अंकित होना था। प्राधिकृत अधिकारी, भूमि आवंटन व नियमितिकरण, नगर परिषद्, सिरोही के उक्त पत्र दिनांक 27.8.2020 में यह भी अंकित किया गया है कि परिषद् द्वारा प्रकरण में प्रार्थी को पट्टा भी जारी किया जा चुका है, उक्त अनुसार 0.310 हेकटैयर की जगह 0.0310 हेक्टेयर अंकित कर अधिग्रहण आदेश का संशोधित पत्र जारी किया जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध हल्का पटवारी, सिरोही की रिपोर्ट (जो तहसीलदार, सिरोही के पत्र क्रमांक/न्याय/2020/906 दिनांक 12.10.2020 से इस न्यायालय को प्राप्त हुई) में यह अंकित किया गया है कि ग्राम सिरोही प्रथम के खसरा संख्या 1181 में अपीलान्ट के वर्तमान हिस्सा 443/695 हक हिस्सा स्थित है, अपीलान्ट का हिस्सा 0.886 में से 0.0310 हेक्टेयर की जगह त्रृटिवश/सहवन से अधिग्रहण आदेश में 0.310 हैक्टेयर दर्ज होने से अपीलान्ट को खातेदारी रकबे में भारी क्षति होने से पुन: कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, भूमि आवंटन व नियमितिकरण, नगर परिषद्, सिरोही को अधिग्रहण आदेश में 0.310 की जगह 0.0310 हेक्टेयर का आदेश जारी करवाये जाने हेतु एवं नामान्तरकरण संख्या 404 को खारिज किया जाकर अपीलान्ट के अधिग्रहित रकबे को 0.310 की जगह 0.0310 हेक्टेयर को खातेदारी रकबे में से कम किया जाना है।

इस प्रकार, प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी, भूमि आवंटन व नियमितिकरण, नगर परिषद्, सिरोही के उक्त पत्र दिनांक 27.8.2020 एवं हल्का पटवारी, सिरोही की उक्त रिपोर्ट से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम सिरोही प्रथम, पटवार हल्का, सिरोही प्रथम के खसरा संख्या 1181 में अपीलार्थी के दर्ज खातेदारी हक हिस्से की भूमि में से वास्तविक अधिग्रहित भूमि का रकबा 0.0310 हेक्टेयर है, जबकि तहसीलदार, सिरोही के पत्र क्रमांक/राजस्व/2018/935 दिनांक 19.2.2018 से प्राधिकृत अधिकारी, भूमि आवंटन व नियमितिकरण, नगर परिषद्, सिरोही को प्रेषित रिपोर्ट में लिपिकिय त्रृटिवश/सहवन से रकबा 0.0310 हेक्टेयर के स्थान पर रकबा 0.310 हेक्टेयर अंकित हो जाने से प्राधिकृत अधिकारी, भूमि आवंटन व नियमितिकरण, नगर परिषद्, सिरोही द्वारा उसी अनुरुप भूमि का अधिग्रहण आदेश दिनांक 07.5.2018 को जारी किया गया है।

अत: अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम सिरोही, पटवार हल्का सिरोही प्रथम के स्वीकृत नामानतरकरण संख्या 404 दिनांक 29.6.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार, सिरोही को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में जांच कर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करते हुए पुन: विधि अनुसार नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करे। निर्णय सुनाया गया।

14/10/2020

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:39:03 IST
Reason: SelfAttested

106 / 14.10.2020

2020/001 63

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:39:03 IST
Reason: SelfAttested